



269/1

दस्तावेज- 2216709
2286710

44 वेतन बॉन्ड, 10 अटॉक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 1933/05/76/एक/2015-16
शेवा में

दिनांक : 10 अगस्त 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद महाराजगंज।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (ब्लॉक) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,
अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एचडीएफसी बैंक	19091450000036	IFSC Code HDFC0001909	126.274

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/बाई का नाम	प्रथम/द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	महाराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0पा0 महाराजगंज	वार्ड नं0 08 राजीव नगर में श्री रिकु दुबे के मकान से श्री दीनानाथ मिश्रा के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.389
2	महाराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0पा0 महाराजगंज	वार्ड नं0 14 लोहिया नगर में श्री साईड श्री बर्कल अंसारी के मकान से श्री किशोर प्रजापति के मकान अपटू ईस्ट एक्जिट इण्टरलाकिंग तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.201
3	महाराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0पा0 महाराजगंज	वार्ड नं0 14 लोहिया नगर में नियर रामाधार कान्य स्कूल से श्री मुरारी और श्री नन्हे खान के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.152
4	महाराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0पा0 महाराजगंज	वार्ड नं0 11 आजाद नगर में श्री राजेश प्रसाद एडवोकेट से श्री विन्देश कनीजिया तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.322
5	महाराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0पा0 महाराजगंज	वार्ड नं0 11 आजाद नगर में श्री फौजदार हरीजन के मकान से श्री ओमप्रकाश विन्दुबाला के मकान होते हुये सितरहा रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.885
6	महाराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0पा0 महाराजगंज	वार्ड नं0 11 आजाद नगर में श्री सोलहु हरीजन के मकान से श्री पारस दिश्वकर्मा के मकान होते हुये श्री राम व्यास प्रसाद के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.793
7	महाराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0पा0 महाराजगंज	वार्ड नं0 11 आजाद नगर में श्री जयनरयन कनीजिया के मकान से श्री मौजी भास्टर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.490
8	महाराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0पा0 महाराजगंज	वार्ड नं0 08 राजीव नगर में कैनाल से श्री दीनानाथ के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.536



26/9/23

सूचना- 2296708
2296710

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनाएँ या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाधकता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रस्तावित परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुस्तिका के सुसंगत प्राधिकारों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदारथ की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दश में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि बूझा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रस्तावित उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रस्तावित परियोजना में भुगतान के पूर्व स्थानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजना के लिये किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमत्त न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की देशवृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किस्त के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की गयी है जिसमें अनुमन्थ सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा द्वितीय किस्त की धनराशि में अनुमन्थ सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किस्त में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(अ. प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तददैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अधि० अभियन्ता-रूडा
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग रूडा।

(अ. प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक